अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43/2019	25.07.2019	29.03.2023

बउनवान

3. धनराज पुत्र श्री सीताराम जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारा,
4. कौशल किशोर पुत्र श्री सीताराम उम्र 25 वर्ष जाअित मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0

– वादी

बनाम

7. सीताराम पुत्र श्री किशनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
8. बनासपति पुत्री श्री सीताराम उम्र 40 जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
9. सुशीला पुत्री श्री सीताराम उम्र 38 जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
10. ममता पुत्री श्री सीताराम उम्र 35 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
11. सावित्री पुत्री श्री सीताराम उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
12. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

यह कि वादी के पिता सीताराम पुत्र श्री किशनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0 कि खातेदारी में ग्राम जलोदा खातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा में जगाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार ख0न0 772 रकबा 1.41 है0 ख0न0 774 रकबा 0.99 है0 ख0न0 775 रकबा 0.99 है0 ख0न0 777 रकबा 1.11 है0 कुल किता 4 का रकब 3.60 है0 व ग्राम तिसाया पटवार हलका तिसाया में जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 ख0न0 807 रकबा 2.06 है0 व ख0न0 1050 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.81 है0 ग्राम तियासा पटवार हल्का तियासा तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0 में प्रतिवाद कम 1 कि खातेदारी में निहित है।

2 यह कि सीताराम पुत्र श्री किशनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0 के हिस्से में स्थित कृषि आराजी पैतृक रूप से खाते चली आ

उपखण्ड कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

रही है। मद नं 1 कि कृषि आराजी में से किसी भी खसरा नम्बर कि आराजी स्वअर्जित नहीं है बल्कि मद नं. 1 में वर्णित कृषि आराजी से ही होने वाले लाभ से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के परिवार का जीवन यापन होता है जिसको वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने आपस में प्रतिवादी कम 1 के खाते एवं हिस्से कि आराजी का बाहमी बंटवारा करके वादीगण को ग्राम जलोदाखातियान पटवार हल्का जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार ख0न0 772 रकबा 1.41 है, ख0न0 774 रकबा 0.99 है0, ख0न0 775 रकबा 0.09 है0, ख0न0 775 रकबा 0.09 है0, ख0न0 777 रकबा 1.11 है0, कुल किता 4 का रकबा 3.60 है0 कि आराजी मे से वादीगणों को बराबार–बराबर बहामी बंटवारा किया हुआ है एवं प्रतिवादी कम 1 के पास जमाबंदी स्मवत् 2071 से 2074 ख0न0 807 रकबा 2.06 है0 व ख0न0 1050 रकबा 0.75 है कुल किता 2 का रकबा 2.81 है ग्राम तियासा पटवार हलका तियासा तह0 मॉगरोल जिला बॉरा को अपने पास रखकर अपना भरण–पोषण करते हुए आ रहे हैं तथा इस अनुरूप ही हम वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 कृषि कार्य करते हुए आ रहे है।

3 यह कि वादीगणों को उक्त अपने अपने हिस्से कि आराजी में कर्ता पिलाई जमा करने, कय विकय सहकारी समिति से एक खातेदार की हैसियत से लाभ प्राप्त करने कॉपरेटिव सोसायटी से या बैंक से लोन लेने आदि में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

4 यह कि उक्त आराजी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार कि कॉपार्सनरी सम्पत्ति है जो पैतृक रूप से कर्ता के नाम खातेदारी में दर्ज है लेकिन परिवार के सभी सदस्य वयस्क होने व कारोबार अलग–अलग कर परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारियां होने से उसका पूर्ण स्वामित्व एक व्यक्ति के पास नहीं माना जा सकता सम्पत्ति का संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों अर्थात पिता, पुत्र और पुत्र के जन्म से हित निहित हो जाता है,तो ऐसे अविभक्त परिवार की पूरी सम्पदा को उसका प्रत्येक सदस्य अपने–अपने अंश के बराबर का हिस्सा बंटवारा में प्राप्त करने का अधिकारी हैं

5 यह कि प्रतिवादी के खाते में दर्ज कृषि आराजी जो वाद कि मद नं0 1 में वर्णित है प्रतिवादी को पैतक रूप से प्राप्त हुई है, जो वंशानुगत चली आ रही है जिसका एक मात्र खातेदार प्रतिवादी कम 1 है जिसको अपने पुत्रों को वादीगण व प्रतिवादी में सम्पूर्ण कृषि आराजी का बहामी बंटवारा कर अलग–अलग भाग जीवन यापन के लिये बहामी (मौखिक) पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है, और उक्त बहामी बंटवारे के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी

...क कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कम 1 कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं ,जिससे होने वाली आय से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 अपने–अपने परिवारों का पालन पोषण पृथक–पृथक रहकर करते चले आ रहे हैं।

6 यह कि उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण मीना जनजाति समुदाय के व्यक्ति है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व का ओल्ड हिन्दू लॉ तथा कोटा सर्कुलर एवं जनजाति समुदाय कि प्रथांए लागू होती हैं तथा बेटियां ससुराल जाने के बाद पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती। मात्र उपयोग–उपभोग पिता के पास रहने तक कर सकती हैं इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 2,3,4,5 का कोई हिस्सा नहीं बनता है। क्योंकि उनकी शादी भी हो चुकी है और अपने ससुराल रहती हैं और खाते से उनका नाम काबिले खारिज योग्य है और सम्पूर्ण आराजी को शुरू से प्रतिवादी कम 1 एवं उसके पुत्रों वादी कम 1ता 2 के कब्जे काश्त में रही है इसलिए विभाजन में उनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

7 यह कि प्रतिवादी कम 6 को लैण्ड होल्डर होने कि वजह से पक्षकार बनाना एवं दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत नोटिस समयाभाव में दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिए वादपत्र के साथ धारा 80(2)सी0पी0सी0 के तहत अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

11. यह कि वाद कारण जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी कम 1 सीताराम पुत्र श्री किशनलाल उम 65 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0 द्वारा दिनांक 30.06.2019 को वादीगणों के निवास पर जाकर धमकी दी गई और कहा कि तुम, ग्राम जलोदा खातियान की कृषि भूमि को 1/2, 1/2 भाग कृषि आराजी पर आज के बाद फसल काश्त करके लाभ प्राप्त नहीं करोंगे प्रतिवादी कम 1 के मना करने के बाद वादीगणों द्वारा गॉव के मौतबिर व्यक्तियों को इकट्ठा करके प्रतिवादी कम 1 के पास ले जाकर समझाने का प्रयास किया कि हमारे बहामी बटवारे में प्राप्त एवं हिस्से की आराजी में हमारे हिस्से अनुसार हमारा नाम दर्ज करवा दे तो हमारे परिवारों का जीवन – यापन संम्भव हो जायेगा लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने वादीगणों की एक नहीं सुनी न ही गॉव के मौतवीर व्यक्तियों की बात मानने पर रजामंद नहीं हुये इसलिये वादीगणों के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ हैं।

12. यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

[illegible] न्यायिक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

13. यह कि वाद उचित कोट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अर्ज कि वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित कि जावे।

(अ) कि प्रतिवादी कम 1के खाते एवं हिस्से से जो मद नं0 1 में वर्णित आराजी खातेदारी में ग्राम जलोदा खातियान पटवार हलका जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार ख0न0 772 रकबा 1.41 है, ख0न0 774 रकबा 0.99 है0, ख0न0 775 रकबा 0.09 है0, ख0न0 777 रकबा 1.11 है0, कुल किता 4 का रकबा 3.60 है0 1/2, 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा वादीगणों को प्रतिवादी कम 1 से अलग वाद कम 1 व वादी कम 2 को अपने– अपने हिस्से 1/2 , 1/2 भाग को पृथक–पुथक रूप से खातेदारी में दर्ज की जावें तथा ग्राम जलोदा खातियान् की आराजी ख0 न0 772, 774, 775, 777 कुल किता 4 रकबा 3.60 है0 में प्रतिवाद कम 1 का नाम डिलीट किया जावें अदनुसार डिकी एवं निर्णय प्रदान किया जावें वाद का खर्चा वादीगणों को दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रकरण में राजीनामा एवं इकबाली जवाबदावा पेश किया । वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से लोक अदालत की भावनानुसार राजीनामा एवं इकबाली जवाबदावा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद का निर्णय किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070–73 माल ग्राम जलोदा खातियान् भू0अ0निरीक्षक विनायका तह0 पीपल्दा में खाता सं. नया 258 पुरानी 221,ख.न. 772 रकगा 1.41 ख.न. 774 रकबा 0.99 ख.न. 775 रकबा 0.09 ख.न. 777 रकबा 1.11 कुल किता 4 रकबा 3.60 एवं खसरा गिरदावरी माल ग्राम जलोदा खातियान् तहसील पीपल्दा ,ख.न. 772 रकगा 1.41 ख.न. 774 रकबा 0.99 ख.न. 775 रकबा 0.09 ख.न. 777 रकबा 1.11 कुल किता 4 रकबा 3.60 में वतोर खातेदार प्रतिवादी कम 1 सीताराम दर्ज रेकार्ड है।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो आपसी सहमति से वादीगण का नाम विवादित आराजीयात् में 1/2,1/2 दर्ज करवा कर प्रतिवादीगण कम 1,2,3,4,5, का नाम खाते से डिलीट करवाना चाहते है।

उप. कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतः प्रकरण में प्रस्तुत रेकार्ड एवं राजानामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोंचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी माल ग्राम 2070–73 माल ग्राम जलोदाखातियान् भू0अ0निरीक्षक विनायका तह0 पीपल्दा में खाता सं. नया 258 पुरानी 221,ख.न. 772 रकबा 1.41 ख.न. 774 रकबा 0.99 ख.न. 775 रकबा 0.09 ख.न. 777 रकबा 1.11 कुल किता 4 रकबा 3.60 में वादीगण को 1/2,1/2 का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। विवादित आराजीयात् से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 का नाम खाते से डिलिट किया जाता है। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1. धनराज पुत्र श्री सीताराम जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारा,
2. कौशल किशोर पुत्र श्री सीताराम उम्र 25 वर्ष जाअित मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0

– वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री किशनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
2. बनासपति पुत्री श्री सीताराम उम्र 40 जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
3. सुशीला पुत्री श्री सीताराम उम्र 38 जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
4. ममता पुत्री श्री सीताराम उम्र 35 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
5. सावित्री पुत्री श्री सीताराम उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी रामपुरिया तह0 मॉगरोल जिला बॉरा राज0
6. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सत्यनारायण मीना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी जाकर जमाबंदी माल ग्राम 2070–73 माल ग्राम जलोदा खातियान् भू0अ0निरीक्षक विनायका तह0 पीपल्दा में खाता सं. नया 258 पुरानी 221,ख.न. 772 रकगा 1.41 ख.न. 774 रकबा 0.99 ख.न. 775 रकबा 0.09 ख.न. 777 रकबा 1.11 कुल किता 4 रकबा 3.60 में वादीगण को 1/2,1/2 का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। विवादित आराजीयात् से प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 का नाम खाते से डिलीट किया जाता है। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा